न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 13/2013(75 एल0आर0एक्ट0)

उनवान

1. सूआलाल पुत्र दामोदर
2. बद्रीप्रसाद पुत्र श्रीलाल
3. रतन सिंह पुत्र बंगाली
4. भगवान सिंह पुत्र राधो
5. सामन्ता पुत्र भौरू
6. विजय सिंह पुत्र गनपति
7. हीरा सिंह पुत्र धर्म सिंह
8. सुल्तान पुत्र रामचरन
9. बृजेन्द्र पुत्र तेज सिंह
10. ल्होरे पुत्र मदन

जाति मीणा निवासीगण सागौर तहसील बाडी जिला धौलपुर(राज0)

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायन पुत्र वेदो जाति मीणा निवासी मौहल्ला कालिया पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. आवण्टन सलाहकार समिति जरिए उपखण्डाधिकारी, बाडी।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, धौलपुर आदेश दिनांक 07.10.2013 मु0न0 126/11 वउनवानी सूआलाल बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0

उपस्थित :–
1. श्री जानकी प्रसाद शर्मा वकील अपीलाण्ट।
2. वकील रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 16.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अधीन नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 इस आशय का पेश किया कि ग्राम सागोर के कृषक परिवारों के व्यक्ति हैं तथा उनका मुख्य पेशा कृषि है तथा चारागाह व सार्वजनिक उपयोगी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमियों का सुरक्षित रखने के लिए हितबद्ध है। यह है कि रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01 लक्ष्मीनारायण पुत्र वेदो जाति मीना निवासी कालिया पाडा कस्बा बाडी ने आराजी खसरा नम्बर 449/41 रकवा 03 बीघा वाके ग्राम सागोर तहसील बाडी को दिनांक 25.09.1973 को अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की अदम जानकारी व अदम मौजूदगी में असलियत को छिपाते हुए आवटिंत करा लिया। विवादित आराजी शुरू से चारागाह जंगलात का भाग रही है। जिस पर ग्राम सागोर व सन्निकट ग्रामों की मवेशी चरती रही हैं। रैस्पो0/अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों व आवंटन सलाहकार समिती से साज कर नियमों का उल्लघंन करते हुए आवण्टन कराया है। अतः आवण्टन निरस्त किये जाकर आवंटित की गई भूमि का इन्द्राज पूर्ववत किये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अधिवक्ता रैस्पो0 को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद अनुपस्थित अतः बहस अपीलण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों को ही बहस कथन करते हुए अपने विशेष कथन में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि का आवंटन अवैध रूप से किया जाकर प्रारंभ से ही शून्य व प्रभावहीन है। आराजी पर न तो आवंटी का कभी कब्जा रहा और न ही वर्तमान में कब्जा है। आवंटन के वक्त आवंटी भूमिहीन कृषक भी नहीं था। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। विवादित भूमि शुरू से चारागाह जंगलात का भाग रही है एवं ऐसी भूमि का विधि अनुसार आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन आदेश विधि विधान एवं राजस्थान कृषि भूमि आवण्टन नियम 1970 के नियमों के विपरीत व नियमों का उल्लघंन करते हुए किया गया है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970, आवंटन आदेश दिनांक 25.09.1973 के विरूद्ध दिनांक 12.12.2011 को करीब 39 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट विवादित भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं करता है। बल्कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में हुए आवंटन को विधि विरूद्ध बताता है। आवंटन के 39 वर्ष पश्चात् आवंटन आदेश के विरूद्ध आपत्ति तार्किक एवं सद्भावी नहीं मानी जा सकती। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार एग्रीव्ड है, यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। अपीलाण्ट/प्रार्थी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) द्वारा केवल सूचना देने वाला है, इसलिए उसे अपील का अधिकार नहीं है। रेस्पोंडेंट आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी पर खातेदार दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम बिना किसी ठोस कारण के आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपीलाण्ट/प्रार्थी विवादित भूमि की किस्म चारागाह बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा इस बाबत् कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है। अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा गुणावगुण पर भी कोई तार्किक व कानूनी तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 07.10.2013 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official